[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 19/2021-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 **जून, 2021**

सा° का°नि°..... (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर 2018 , जिसे सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के

(i) आंठवे परंतुक में, तालिका के स्थान पर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"तालिका

क्र.सं. **(1)**	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग** **(2)**	**कर अवधि** **(3)**	**सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया** **(4)**
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक	मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से

	हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं		पहले साठ दिन तक
		अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक
		मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी - मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक"।

(ii) आंठवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/ तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शुन्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देह विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्हीने नियत तारीख तक माह/ त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है:

परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए है, और जो नियत तारीख तक प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून 2021 की कर अवधि से या जून 2021

को ख़तम तिमाही की कर अवधि से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: -

तालिका

क्र॰सं॰ **(1)**	**रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग** **(2)**	**रकम** **(3)**
1.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शुन्य है	रुपये दो सौ पचास
2.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये एक हज़ार
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये दो हज़ार पांच सौ"।

[फा. सं. सीबीआईसी- 20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 09/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.नि. 305 (अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।